नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक /7458 /भर्ती/2025 खण्डवा, दिनांक 12/09/2025

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय "शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अन्तर्गत नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के अधीन सीधी भर्ती के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है इस हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अंतिम दिनांक–27/09/2025 तक आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	विभाग का नाम	सहायक प्राध्यापक					योग
		UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	एनॉटामी	1*	—	—	—	—	1
2	एनेस्थिसिया	—	—	1	—	—	1
3	दन्तरोग	1	—	—	—	—	1
4	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	—	—	—	—	1
5	जनरल मेडिसिन	—	1	—	2	—	3
6	जनरल सर्जरी	—	—	1	2	—	3
7	स्त्री रोग एवं प्रसुति	—	—	1	—	—	1
8	अस्थि रोग	—	—	—	1	—	1
9	शिशु रोग	—	1	—	—	—	1
10	फार्माकोलॉजी	1	—	—	—	—	1
11	रेडियोडायग्नोसिस	1	—	—	—	—	1
12	रेस्पिरेटरी मेडिसिन	1	—	—	—	—	1
	योग–	6	2	3	5	—	16

*पूर्व विज्ञप्तियों के माध्यम से नॉन मेडिकल अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है अतः MD/MS/DNB अभ्यर्थियों के आवेदन ही मान्य किए जायेंगे। (भारत का राजपत्र क.479 दिनांक 02.07.2025 के अनुसार)

1. **आवेदन शुल्क**–अभ्यर्थी आवेदन शुल्क निम्न खाते में UPI/Net Banking/Chalan/NEFT के माध्यम से जमा कर रसीद की पावती/Payment Screen shot की प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें यदि आवेदन शुल्क की पावती/Screen shot आवेदन के साथ संलग्न नहीं की जाती है तो आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

   Name - Government Medical College Khandwa Sihada Road, Khandwa
   Bank - State Bank of India
   Account No. – 37773559136
   IFSC Code - SBIN0012159
   Branch Name -Anand Nagar Khandwa

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु
रू. 1500/–	रू. 2500/–

2. उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं।

12/09

3. पूर्व विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के पद जिन्हें विज्ञप्ति उपरांत संस्था द्वारा साक्षात्कार नहीं लिया गया ऐसे समस्त पदों के साक्षात्कार की प्रकिया निरस्त मानी जावे।

4. यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी।

5. **वेतनमान** – 7 वें वेतनमान अनुसार न्यूनतम –

कं.	पदनाम	न्यूनतम आयु	अधिवार्षिकी आयु	वेतनमान
1	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	65 वर्ष	68900

टीपः– 1–समस्त पदों के लिये राज्य शासनद्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं भत्ते आदि देय होगें।
2–आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। (जिस आरक्षित श्रेणी में पद विज्ञापित नहीं है उन्हें आयु सीमा में छुट देय नहीं होगी किन्तु परीक्षा शुल्क में छुट की पात्रता होगी।

6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा व जाति आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्यः प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

जाति प्रमाण–पत्रः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि म.प्र. शासन द्वारा जाति प्रमाण–पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण–पत्र डिजिटल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन–पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं महाविद्यालय इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। डिजिटल जाति प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग किमिलेयर में न आने का प्रमाणिकरण भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछडा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में किमिलेयर में न आने संबंधी कंडिका नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

7. **अर्हतायेः**–

a. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2025" अधिसूचना क्रमांक F.No. N-P051(12)/18/2024-PGMEB-NMC, अधिसूचना जारी दिनांक 30 जून 2025 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित आर्हताएं।

b. ***एमसीआई राजपत्र अधिसूचना क्रमांक MCI-12(1)/2017- Med.Misc./115698 जारी दिनांक 08/06/2017 ओर इसके "अकसर पूछे जाने वाले" (New FAQ) जारी दिनांक 17/08/2017 बिन्दु क्रमांक 01, 27, 20, 31 एवं 14 अनुसार :–ऐसे आवेदक जो दिनांक 08/06/2017 को पहले से ही भारत में एमसीआई की अनुमति/मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है, ऐसे आवेदकों को भारत में एमसीआई/एनएमसी की अनुमति/मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में 01 वर्ष के पोस्ट पीजी एसआर/ट्यूटर का अनुभव (दिनांक 08/06/2017 की जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार) आवश्यक/अनिवार्य नही है। ऐसे आवेदक जिनकी भारत के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम फेज नियुक्ति दिनांक 08.06.2017 के पश्चात है/या की जा रही है (उनके चिकित्सा शिक्षक पेशा/अजीविका/करियर में), एमसीआई/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये संबंधित विभाग में सीनियर रेसीडेन्ट/प्रदर्शक (स्नातकोत्तर डिग्री पश्चात्) के पद पर कार्य किया हो तो उसे सीधे सहायक प्राध्यापक पद के लिये पात्रता होंगी। आवेदक एमसीआई/एनएमसी द्वारा उन्हे जारी संबंधित पद के लिये "पात्रता पुष्टीकरण प्रमाण पत्र"(MCI/NMC letter issued to applicant regarding confirmation of eligibility for a particular post in a medical college in India) अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सकते है। किसी चिकित्सा महाविद्यालय में एमसीआई/एनएमसी निरीक्षण के दौरान एमसीआई/एनएमसी निरीक्षणकर्ता द्वारा चिकित्सा शिक्षक पद पर स्वीकार किये जाने के घोषणा पत्र (MCI/NMC Declaration form) की प्रतियां किसी भी चिकित्सा शिक्षक पद के लिये "पात्रता पुष्टीकरण प्रमाण पत्र" के रूप में स्वीकार्य नही है।

c. म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों को छोड़कर)।

Gadm 12/09

d. उक्त अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।

e. **म.प्र के मूल निवासी** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थियों जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।

8. <u>निरर्हतायें–</u>

a. विकृत चित्त वाला होने पर।

b. दुष्चरित्र होने पर।

c. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध, दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

d. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लियेअनर्हकारी माना जायेगा।

e. विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो,जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

f. जिनकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके प चात हुआ है, परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है।

g. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

h. कदाचरण संबंधी–भर्ती चयन के दौरान/नियुक्ति पश्चात्म.प्र. शासन अनुसार किसी भी प्रकार का कदाचरण संज्ञान में आता है तो संबंधित की अभ्यर्थीता/नियुक्ति तत्काल विलोपित कर यथाशीघ्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

i. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

j. एमसीआई/एनएमसी के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालय को एलओपी मिलने से पहले प्राप्त चिकित्सा शिक्षक का अनुभव/ऑनरेरी/विदेशी संस्थानों/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर प्राप्त अनुभव , भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्णकालिक चिकित्सा शिक्षक के उच्च पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए मान्य/स्वीकार्य नहीं है।

9. **स्वास्थ्य संबंधी**–नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिये परीवीक्षा अनुबंध पर की जावेगी।

11. शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत चिकित्सा शिक्षक, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये मूल नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों एवं समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

13. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

14. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्सक हेतु मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

12/09

15. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी जो पालन न करने पर भू–राजस्व संहिता के तहत वसूली योग्य होगी। **विज्ञापन में रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एनेस्थिसिया एवं रेडियो–डाग्नोसिस विभाग में 03 वर्ष के स्थान पर 01 वर्ष बांड अवधि रहेगी।**

16. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** दिनांक–**27/09/2025** सायं **05:30** बजे तक होगी। निर्धारित प्रारूप में आवेदन निम्न पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर स्वयं उपस्थित होकर आवक–जावक शाखा में जमा कर सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

आवेदन हेतु पताः–नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, लव कुश नगर, मूंदी रोड खण्डवा (म.प्र), पिन कोड–450001

17. बंद लिफाफे पर निम्न विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करें।

> विज्ञप्ति क. .... दिनांक ....
> आवेदित पदनामः– .... विभाग का नामः–.........................
>
> प्रति,
> अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
> नंदकुमारसिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
> लव कुश नगर, मुंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.) 450001.
>
> प्रेषक,
> नाम :–
> पूर्ण पत्राचार पता :–
> राज्यः– पिन कोड–
> मो.नंः–
> ई–मेल आईडीः–

18. <u>चयन प्रक्रियाः–</u> चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदो के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोरेटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोरेटा अंको के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी

19. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल महाविद्यालय की वेबसाइट<u>https://www.gmckhandwa.org</u> पर प्रकाशित किए जाएंगे।आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने सटीक ई–मेल पता तथा मोबाईल नंबर का आवश्य उल्लेख करें तथा वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त मूल दस्तावेजों एवं एक सेट स्व–प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से लावें।

20. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

21. भर्ती को संस्था द्वारा आपनी आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि एवं पूर्ण भर्ती निरस्त करने का अधिकार होगा तथा भर्ती से संबंधित किसी भी न्यायालयीन स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तक सीमित होगा।

22. **इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश स्वतः लागू होगें तथा संलग्न प्रोराटा अनुसार चयन की प्रकिया की जावेगी।**

23. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय का संलग्न अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12/09/25

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा.,खण्डवा

आवेदन पत्र प्रारूप
(अंतिम तिथि– / /2025)

पद...............................**विषय**............................ आवेदक की **श्रेणीः–(UR/OBC/ST/SC/EWS)**

(जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है)

नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष / महिला ....
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान..
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है..........................
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)..

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं...

   मोबाइल नं..................................ईमेलआईडी...

7. स्थाई पता...

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं...

   मोबाइल नं..

8. आधार कार्ड नम्बर ....
9. जन्मतिथि **(हाईस्कूल अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)** ....
10. आने वाली 01 जनवरी को आवेदक की आयु ....दिन .... माह ....वर्ष
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित / अविवाहित
12. विवाह का दिनांक– ....
13. विवाह के समय आपकी उम्र....... वर्ष........ माह........दिन........,

    विवाह के समय पति / पत्नी की उम्र.............. वर्ष............. माह.............दिन............,

14. आपके बच्चों की संख्या..
15. यदि बच्चों की संख्या 02 से अधिक है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक...........
16. वर्ग–:अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

    नोटः– मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी न होने की स्थिती में वर्ग अनारक्षित लिखे।

17. मेडिकल काउन्सिल / डेन्टल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

    अ. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.––

    ब. एमडी / एमएस / एम.डी.एस.––

    स. एमसीएच / डीएम–

    नोटः पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

12/09

18. शैक्षणिक योग्यताऐं:–विज्ञप्ति में दर्शित अर्हतायें एवं निरर्हतायें के अनुरूप

1. शैक्षणिक योग्यताए :–

परीक्षा का नाम	संस्था / वि.वि.	वर्ष	विषय एवं प्रयास (Attempt) *Mention subject wise attempt	कुल प्राप्तांक / कुल पूर्णांक	कुल प्रतिशत
MBBS/BDS/MSc First Prof.					
MBBS/BDS/MSc Second Prof.					
MBBS/BDS/MSc Final Part I					
MBBS/BDS/MSc Final Part II					
MD/MS/ DNB/MCH/ DM/MDS/PhD					

2. For D.N.B. candidates:-

D.N.B. course duration (in years)	Number of beds in teaching hospital where D.N.B. course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's as PG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/ Research Associate (CISR) in MCI recognized / permitted institution(required for acquiring/ gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)

3. Details of **"Basic Course in Biomedical Research"** from institution designated by MCI/ NMC:

Institution designated for conducting BCBR by MCI/NMC: Yes/No, Dates & Roll no.........., Center name:- ...., conducted by:-	Online Assignment (%)	Proctored Examination (%)	Consolidated Score (%)	Photocopy of its certificates attached : Yes/No

4. Details of **"Basic Course in Medical Education Technology"** from Institutions designated by NMC:

Center Name where course conducted	Center designated by MCI/NMC: Yes/No	Dates of course conducted	Name of Trainer(Coordinator)	Photocopy of its certificates attached : Yes/No

12/09

5. शैक्षणिक अनुभव :–विज्ञप्ति में दर्शित अर्हतायें एवं निरर्हतायें के अनुरूप

Post	Name of the Institute with address:	Date of (G.O.I.) L.O.P. issued to the said institute:	Institute Recognized/ Permitted by MCI/NMC	Type of appointment as Permanent Full time / Contractual Full time /Regular Full time / Part time / Honorary / Visiting Faculty	Work experience		Duration (in Years , Month and days)
					From (Date)	To (Date)	
Professor							
Associate Professor							
Assistant Professor							
Post _PG SR / Tutor							

6. रिसर्च पब्लिकेशन :– Details of **Research articles** published:-

No.	Publication Title & Journal name	Type of Article*	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc./Assist. Prof/ PG	Author: 1st/2nd/3rd /Corresponding	Name of Indexing Agency**	ISSN No.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*** Type of article accepted as per NMC/MCI norms:** 1.Original Research Article/ Papers, 2. Systematic Review, 3. Meta-analysis, 3. Case Series.

विज्ञापित उच्च पद पर आर्हता हेतु एनएमसी के प्रचलित मापदण्डों अनुसार जर्नल इंडेक्स (Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ)**) में प्रकाशित शोधपत्र मान्य किये जायेंगे, किन्तु नवीनतम प्राप्त संलग्न प्रोराटा अनुसार शोधपत्रों के गुणांकन/अंक हेतु केवल Pubmed indexed जर्नल में प्रकाशित शोधपत्र ही मान्य किये जायेंगे।

12/07

7. Other Information–

no.	Achievements	Yes/No	Mention Details and attach photocopy of its certificates/proof
1.	Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body , in lieu of Publication/authorship:-		
2.	Organized Conference(National/International) in capacity as Organizing Chairperson / Organizing Secretary / Organizing Joint Secretary:-		
3.	Editor of Journal /Member of Editorial board:-		
4.	Written book/Chapter in book:-		
5.	National Award /State Award for:-		
6.	Fellowship in concerned subject of more than six months:-		
7.	Membership of Scientific Research Society:-		
8.	Good Clinical Practice Workshop:-		
9.	Any Extracurricular Activities:-		

8. सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–
   1) 10th, 12th marksheet
   2) 1st M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
   3) 2nd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
   4) 3rd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
   5) 4th Part I B.D.S. Marksheet
   6) 4th Part II B.D.S. Marksheet
   7) Internship completion certificate
   8) M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Degree Certificate
   9) M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Attempt Certificate
   10) M.B.B.S./B.D.S. Registration Certificate
   11) M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Mark sheet Certificate
   12) M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Degree Certificate
   13) M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Attempt Certificate
   14) M.S./M.D./D.N.B/M.D.S. Registration Certificate
   15) Certificate of Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC
   16) Certificate of Revised Basic Course in MET &AT-COM from institution designated by MCI/NMC
   17) Teaching Experience Certificates of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in Medical College
   18) Post-PG one year experience certificate of S.R./ Tutor in concerned subject in a MCI/NMC permitted/recognized Medical College.
   19) PG Resident Experience Certificate
   20) Tenth Mark sheet/Certificate or Birth Certificate
   21) Adhar Card and PAN Card
   22) Copies of Research Publications
   23) ....
   24) ....

स्थान...............................

दिनांक.............................   आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

12/09

परिशिष्ट–2

–: घोषणा :–

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ, कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई वह पूर्ण सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा मे मेरा आवेदन/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। मुझ पर मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संबंधित संस्था के सभी नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बन्धनकारक होंगे तथा मेरे चयन हो जाता है तो मेरे द्वारा बंधपत्र का पालन किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

....

दिनांक ....

स्थान ....

12/09

सहायक प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोरेटा (साक्षात्कार के माध्यम से)

अधिकतम अंक 100

प्रपत्र "द"

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 25 अंक	कुल 25 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (...../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 5. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. (MBBS/BDS) उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 6. किसी भी विषय में अतिरिक्त attempt होने पर प्रत्येक अतिरिक्त attempt के 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 25 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / एम.डी.एस. (MD/MS/DNB MDS) उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 25 अंक	शोध अनुभव – PubMED Indexed Journal में प्रकाशित शोध पत्र (प्रत्येक शोध पत्र के लिए 02 अंक) अधिकतम– 10 अंक	कार्य अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम 01 वर्ष से अधिक सीनियर रेसीडेंट/सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 2 अंक। (डी.एन.बी. समकक्षता के लिये की गई अतिरिक्त एक वर्ष की सीनियर रेसीडेंसी के कोई अंक देय नही होंगे) अधिकतम– 20 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम – 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः–

1. उक्त प्रोरेटा अर्हता का मापदण्ड नहीं है। अर्हताओं हेतु एन.एम.सी द्वारा प्रचलित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अर्हताओं की गणना किये जाने में एन.एम.सी के नियमानुसार शोधपत्र मान्य किये जाएेंगे। उपरोक्त तालिका में शोध पत्र की गणना संबंधी दिशा निर्देश केवल आंतरिक प्रोरेटा के गणना हेतु है।

(मयंक अग्रवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग